भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3596

दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मासिक धर्म स्वच्छता नीति, 2024

†3596. श्री गौरव गोगोई:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए पर स्थित क्षेत्रों में मासिक धर्म स्वच्छता नीति, 2024 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;
(ख) सरकार किस प्रकार स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों में पर्याप्त मासिक धर्म स्वच्छता संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है;
(ग) मासिक धर्म स्वच्छता नीति 2024 के कार्यान्वयन के लिए बजट आवंटन का ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त नीति के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा देश में हाशिए पर स्थित और कमजोर समूहों, जैसे किशोरियों, यौनकर्मियों और विकलांग महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ) सरकार 10-19 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत मासिक धर्म स्वच्छता योजना (एमएचएस) कार्यान्वित करती है। इस स्कीम के उद्देश्यों में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता के बारे में किशोरियों में जागरूकता बढ़ाना, किशोरियों द्वारा सैनिटरी नैपकिन तक बेहतर पहुंच और उपयोग तथा पर्यावरणीय अनुकूल तरीके से सैनिटरी नैपकिन के सुरक्षित निपटान के संबंध में जागरूकता पैदा करना शामिल है। किशोरियों को कवर करने के लिए यह स्कीम पूरे देश में कार्यान्वित की जाती है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित सूचना शिक्षा और संचार सामग्री द्वारा मासिक धर्म के दौरान स्वस्थ प्रथाओं और मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों के सुरक्षित निपटान के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है।

स्कूल जाने वाली लड़कियों के संबंध में मासिक धर्म स्वच्छता कार्यनीति में सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लड़कियों के लिए सुरक्षित और कम लागत वाले मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों की उपलब्धता और पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह कार्यनीति पूरे देश और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के संबद्ध मंत्रालयों/विभागों में लागू है।

इस कार्यनीति में स्वच्छ, महिला-पुरूषों के लिए अलग-अलग शौचालयों तक पहुंच तथा सरकारी और सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों में पर्याप्त वाशिंग और निपटान सुविधाओं के पहलुओं को यह सुनिश्चित करते हुए शामिल किया गया है कि लड़कियां अपने मासिक धर्म का सुरक्षित, स्वच्छता और गरिमा के साथ प्रबंधन कर सकें। इसके अतिरिक्त, इसमें स्कूलों में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल मासिक धर्म अपशिष्ट निपटान पद्धतियों, जैसे कि मासिक धर्म अपशिष्ट प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए संबंधित विभागों और स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग करके मासिक धर्म अपशिष्ट डिब्बे/रिसेप्टेकल्स का उपयोग, जमीन में गाढ़ना या अन्य सुरक्षित तरीकों के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है।

इस कार्यनीति में शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, जल शक्ति, गृह, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन जैसे संबंधित मंत्रालयों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/निकायों, रसायन एवं उर्वरक, उपभोक्ता मामले, ग्रामीण एवं शहरी विकास तथा सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इनपुट शामिल किए गए हैं। यह मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मौजूदा योजनाओं के अनुरूप है।

*****